

26/5/17

दुयम या कार्यवाही मय इतिहासयन्त्र जय
आधी व एवके मदील उपीयत/विपकी
उपस्थित/अनुपस्थित प्रकरण को लोक अदालत
केम कोर्ट में रफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत
है अतः प्रकरण को लोक अदालत में रफर किया
जाता है पत्राचार दिनांक 29/5/17 को
केम कोर्ट/लोक अदालत समत उपस्थित रहे।

प.सी.इ.एम.(57)
जोधपुर

सुखराज

अनारी
सरपंच
ग्राम पंचायत, खाखरीया
प स भण्डोर (जोधपुर)

29/5/17 समय पक्षकारान उपस्थित। दोनों
पक्षों ने सीधे ही बस में भाग लिया।
दोनों ही पक्षकारान द्वारा माने की यथास्थिति
बनाए रखने हेतु आप्रह किया गया। दोनों ही
स्वरे 16, 16। मूल स्वरे 16 से ही बने हैं
बाहू बंधवाए इवके ही भाग इर है।
उमथ पक्षकारान ने बताया कि माने पर
किवाट की स्थिति है। इसी विवादगत मुद्दे
के अन्तर्गत एक बाहू अधीन धारा 188
R.T. Act का भी इस न्यायालय में विचारणीय
है। दोनों ही पक्ष माने व रिफर की यथास्थिति
बनाए रखने हेतु असमत हैं। दोनों ही पक्ष पर
किवाट होने की सम्भावना है। पक्षारी हस्त
रमेश्वरिका से भी माने की यथास्थिति के
बाहे में जानकारी प्राप्त की गई। अतः न्यायालय
में व. किवाट होने की सम्भावना को देखते
हुए नार्केसला मूल बाहू दोनों ही पक्षकारान
को माने व शेषत्व रिफर की यथास्थिति
बनाए रखने हेतु दोनों ही पक्षों को नार्केसला
मूल बाहू बावेंद किया जाता है। पत्राचार दिनांक
29/5/17 को रफर नम्बर से नाम है। पत्राचार
मूल बाहू पत्राचार के साथ अलग है।

29/5/17



कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक)
जोधपुर